प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 30/09/2026

थाना सुरियावां पु लस टीम द्वारा 02 शातिर ड्रग तस्कर को कया गया गरफ्तार, कब्जे से 17.60 ग्राम अवैध एम०डी०एम०ए० (MDMA) नशीला पाउडर (अनुमानित कीमत लगभग दो लाख रुपए), मोबाइल,नगदी, व मोटरसाइ कल बरामद।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी , पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना सुरियावां पु लस टीम द्वारा 02 शातिर ड्रग तस्करों को गरफ्तार कया गया। गरफ्तार अ भयुक्तों के कब्जे से कुल 17.60 ग्राम अवैध एम०डी०एम०ए० नशीला पाउडर, नशीले पदार्थ की बिक्री के कुल 4,500/- रुपये नगद, दो एंड्रॉइड मोबाइल और एक टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइ कल बरामद हुए। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 316/26 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर व धक कार्यवाही के उपरांत अ भयुक्तों का चालान मा0 न्यायालय कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण:-*

1.दीपक उपाध्याय उर्फ मुलायम उपाध्याय पुत्र पुनवासी उपाध्याय, निवासी- कौड़र, थाना- सुरियावां, जनपद- भदोही उम्र करीब 35 वर्ष

2.प्रमेश उपाध्याय उर्फ भोलू पुत्र राजेश उपाध्याय, निवासी- कौड़र, थाना- सुरियावां, जनपद- भदोही उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का ववरण:-

1.कुल 17.60 ग्राम अवैध एम०डी०एम०ए० (MDMA) नशीला पाउडर अनुमानित कीमत लगभग ₹2,00,000/- (दीपक उपाध्याय से 14.52 ग्राम व प्रमेश उपाध्याय से 03.08 ग्राम)

2.कुल 4,500/- रुपये नगद (एम०डी०एम०ए० नशीले पाउडर की बिक्री का पैसा)

3.02 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन

4.01 अदद मोटरसाइ कल टीवीएस स्पोर्ट

पूछताछ का ववरण:-

 गरफ्तार अ भयुक्तों ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुए बताया क वे यह एम०डी०एम०ए० नशीला पाउडर दो व्यक्तियों से खरीद कर लाए थे। वे इसे फ्लाई ओवर के नीचे कसी ग्राहक को ऊंचे दामों पर बेचने के इंतजार में खड़े थे। पास से बरामद पैसे इसी पाउडर को बेचने से प्राप्त हुए थें।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ०नि० कमलेश कुमार, उ०नि० सुरेश यादव, हे०का० कृष्ण कुमार यादव, का० अहम संह, का० महेश कुमार एवं रि० का० रावेन्द्र थाना सुरियावां, जनपद भदोही।